

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2017

सा.का.नि..... (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ सं. 51 पर, सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,-

(2)

“किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबाह अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबाह अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।”

के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए-

(2)

“किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं.

स्पष्टीकरण:-

“विधिकसेवा”सेविधिकीकिसीशाखामेंकिसीरीतिमें, किसीसलाह, परामर्शयासहायताकेसंबंधमेंउपलब्ध कराईगईकोईसेवाअभिप्रेतहैऔरइसकेअंतर्गतकिसीन्यायालय, अधिकरणयाप्राधिकरणकेसमक्षप्रतिनिधित्वकारीसेवाएंसम्मिलितहैं।”।

[फा. सं. 336/20/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव भारत सरकार